

भारत सरकार  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन रोड, राँची

आयकर अधिनियम की धारा 80(छ)(vi) के अधीन

**आ दे श**

राँची दिनांक 7.3.09.....

इस कार्यालय के आदेश सं० आ०आ०/आ०आ०(तक०)/80(छ)(5)(vi)/VI/11-55/07-08 दिनांक 23.4.08 के माध्यम से बिहार प्रदेश युवा परिषद, पटना को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(छ)(vi) के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई थी। आवेदक ने स्वीकृति की नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया है।

अतः बिहार प्रदेश युवा परिषद, निरुद्ध निवास, गिरि, स्कूल, प्रजादण्ड, पटना-822101 को आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 80(छ)(5)(vi) के अन्तर्गत दी गई स्वीकृति का सम्बन्धित शर्तों और सीमाओं के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

sd-  
[एस० के० सेन ]  
आयकर आयुक्त, राँची।

ज्ञापन सं० आ०आ०/राँची/तक०/VIII-69/80(छ)/2008-09/ 572-74  
राँची दिनांक 7.3.09.....

1. संबंधित संस्था: उपर्युक्त सत्या.....
2. आयकर उपायुक्त/सहायकर आयकर आयुक्त, सर्कल-1.....राँची।
3. अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1.....राँची।

Pray. 07/08/09  
[ श्री राम ]  
सहायक आयकर आयुक्त(तक०)  
कृते: आयकर आयुक्त, राँची।